23/3/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। तहसील दार बागेश्वर से जवाब प्रार्थना पत्र / मौका जाँच रिपोर्ट प्राप्त और शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र / आदेशार्थ दिनांक 25/03/2021 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपजिलाधिकारी, बागेश्वर

25/3/21 पत्रावली पेश हुई। [illegible]
दिनांक कार्य में व्यस्त/[illegible] होने से
पत्रावली स्थगित होकर [illegible] /5/2021
को पेश हो।

15/4/21 केविड-19 महामारी [illegible] राज्य सरकार के
निर्देशों की पालना में [illegible] स्थगित
रखी गई थी दिनांक [illegible] के मार्गदर्शन
के बाद पुनः [illegible] सुनवाई
दिनांक 8/7/21 को [illegible]

सहायक कलेक्टर एवं
उपजिलाधिकारी, बागेश्वर

8/7/2021 पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी
दिनांक कार्य में व्यस्त/अवकाश पर होने से
पत्रावली स्थगित होकर दिनांक 20/7/21
को पेश हो।

20/7/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने बहस में मनन किया [illegible]
[illegible] केशवा [illegible]
[illegible] में प्रार्थी[illegible] के
साथ संयुक्त खातेदारी [illegible] भूमि खसरा
सं: 344/3, 345 एवं 840 कुल खसरात
तीन कुल रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा
[illegible] भूमि आयी हुई है। उक्त कृषि भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय त्रुटि वश
सेवाराम के स्थान पर जेठू एवं सेढ़िया तथा
प्रेमाराम के स्थान पर प्रेम इन्द्राज कर
दिया गया जो उनके रूबरू बोलचाल
वाले नाम है। प्रार्थिगण ने राजस्व
रिकार्ड में प्रार्थिगण का नाम शुद्ध करने
करवाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थिगण की अपील सुनी गई।
पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं
पक्षों पर मनन किया गया। पत्रावली
अवलोकन से पाया गया
का प्रार्थना पत्र धारा 136
आमंत्रित होने से स्वीकार किया जाता है
एवं तहसीलदार बाड़ी को निर्देशित
किया जाता है कि तहसीलदार बाड़ी
से पत्र मांगा जांच रिपोर्ट अनुसार
वाद पत्र पत्रावली राम लेखा जी
के खसरा नं. 1418/39 में 850
850 वर्ग गज भूमि रकबा पट्टा
पश्चिम से प्रार्थिगण जेठू एवं
सेढ़िया के स्थान पर नाम दुरुस्त कर राजस्व
रिकार्ड में सेवाराम पुत्र सिलकाराम एवं प्रेम
के स्थान पर प्रेमाराम पुत्र सिलका राम
राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें। प्रार्थिगण
के नाम अनुसार राजस्व रिकार्ड में क्रमबद्ध
करें। तहसीलदार बाड़ी की मौका जांच रिपोर्ट
पर कार्यवाही की जाए रहेगी। तहसीलदार
बाड़ी को आदेश मात्रमात्र [illegible]
हो। पत्रावली फैसल शुमार [illegible]
के कम होकर दाखिल [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाड़ी